

कार्यालय, नगरीय निकाय निदेशालय
 प्लाट नं०-१८, सेक्टर-७, गोमती नगर विस्तार योजना, लखनऊ.
 e-mail: diruplb@gmail.com, website: www.localbodies.co.in

पत्र संख्या- ११(२)/ ०२ / OM&M Cell / 2020-21

दिनांक : ०२ फरवरी, 2021

सेवा में,

- | | |
|---|--|
| १ प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश जल निगम,
लखनऊ। | २. सदस्य सचिव,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ। |
| ३ निदेशक,
नगरीय निकाय, निदेशालय,
लखनऊ। | ४. सहायक निदेशक, लेखा,
नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०,
लखनऊ। |

महोदय / महोदया,

नगर विकास विभाग के शासनादेश संख्या—शासनादेश संख्या—५४८३/नौ—५—२०१७— ४४७सा/२०१७ दिनांक १२.०२.२०१८ द्वारा कुल ०४ जोन— लखनऊ, गोरखपुर (गोरखपुर, अयोध्या, सुल्तानपुर), आगरा एवं गाजियाबाद (गाजियाबाद, पिलखुआ, लोनी, अनूपशहर, बिजनौर, रामपुर, भेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर) हेतु वन सिटी—वन आपरेटर सिद्धान्त पर सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (एस.टी.पी.) व इससे जुड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा सीवरेज नेटवर्क के दोर्घकालिक (१० वर्ष) के संचालन, रख—रखाव एवं प्रबन्धन की व्यवस्था की गयी है।

२. उक्त कार्य के लिए आबद्ध फर्म को कार्य/सेवाओं के सापेक्ष प्रस्तुत Payment Certificate/Bill के भुगतान एवं सैटेलमेन्ट की सरतुति हेतु शासनादेश संख्या—५०४/नौ—५—२०२०—३९४सा/२०१८ दिनांक ०३.०२.२०२० द्वारा निमानुसार समिति गठित की गयी है।

१	प्रमेख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन	अध्यक्ष
२	प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ	सदस्य
३	निदेशक नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ	सदस्य
४	श्री आर.के. चौधरी, मुख्य अभियन्ता, उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयत) अभियन्त्रण सेवा, उ०प्र०	सदस्य—सचिव
५	सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ	सदस्य
६	उप/सहायक निदेशक, लेखा, नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ	सदस्य

३. लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा एवं गोरखपुर जोन के लिए एजेण्डा—वार फर्म द्वारा कराये गये कार्यालयों एवं प्रदान की गयी सेवाओं के सापेक्ष जल निगम से प्राप्त प्रमाणित बिलों पर निर्णय लेने हेतु उपरोक्तानुसार गठित समिति की बैठक प्रमुख सचिव, नगर विकास, की अध्यक्षता में दिनांक ०२.०२.२०२१ को पूर्वान्ह १०:३० बजे स्थानीय निकाय निदेशालय के पंचम तल पर स्थित समागमर में आहूत की गयी थी। अध्यक्ष/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग द्वारा अनुमोदित आहूत बैठक का कार्यवृत्त इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सलग्नक : उपरोक्तानुसार।

Xp, ch.
 (आर०क० चौधरी)
 सदस्य—सचिव/मुख्य अभियन्ता

प०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

१. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन, को महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
२. समस्त महाप्रबन्धक, उ०प्र० जल निगम, जोन—लखनऊ, जोन—आगरा, जोन—गोरखपुर, जोन—अयोध्या एवं जोन—गाजियाबाद।

सदस्य—सचिव/मुख्य अभियन्ता

संख्या : 117 (1) / 02 | 2020-21

दिनांक : 02.02.2021

प्रमुख सचिव, नगर विकास की अध्यक्षता में एस0टी०पी० व इससे सम्बंधित मेन पम्पिंग स्टेशन, इण्टरमीडिएट पम्पिंग स्टेशन, सीवरेज पम्पिंग स्टेशन, नाला-टैपिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा सीवरेज नेटवर्क के 10 वर्षीय दीर्घकालिक रख-रखाव, संचालन व प्रबन्धन कार्य (Package- 4 Lucknow Zone, Package- 6 Agra Zone, Package-8 Ghaziabad Zone, Package-5 Gorakhpur Zone) की बैठक दिनांक 02.02.2021 का कार्यवृत्त

उत्तर प्रदेश में स्थापित एस0टी०पी० व इससे सम्बंधित मेन पम्पिंग स्टेशन, इण्टरमीडिएट पम्पिंग स्टेशन, सीवरेज पम्पिंग स्टेशन, नाला-टैपिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा सीवरेज नेटवर्क के 10 वर्षीय दीर्घकालिक रख-रखाव, संचालन व प्रबन्धन कार्य (Package- 4 Lucknow Zone, Package- 6 Agra Zone, Package-8 Ghaziabad Zone, Package-5 Gorakhpur Zone) हेतु नगर विकास अनुभाग-5 के शासनादेश सं-2319 / नौ-5-2019-394सा / 2018 दिनांक 11.06.2019 द्वारा निविदा की स्वीकृति प्रदान की गयी थी तदनुसार सम्बन्धित फर्मों के साथ अनुबन्ध सम्पादित किया गया। शासनादेश संख्या-849 / नौ-9-19-89ज / 2001 दिनांक 18 जुलाई, 2019 द्वारा मूल बजट रु० 250.00 करोड़ एवं शासनादेश संख्या-2748 / नौ-9-20-89ज / 2001, दिनांक 30.12.2020 द्वारा पुनरीक्षित बजट रु० 350.00 करोड़ प्रतिवर्ष, एस.टी.पी. के संचालन, अनुरक्षण एवं प्रबन्धन की व्यवस्था की गयी है। उ०प्र० जल निगम को उक्त कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत किए जाने पर निर्णय लेने हेतु नगर विकास अनुभाग-5 के शासनादेश सं-504 / नौ-5-2020-394सा / 2018 दिनांक 03.02.2020 द्वारा निम्नानुसार समिति गठित की है।

1	प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन	अध्यक्ष
2	प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ	सदस्य
3	निदेशक नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ	सदस्य
4	सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य
5	उप/सहायक निदेशक, लेखा, नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ	सदस्य
6	श्री आर.के. छौधरी, मुख्य अभियन्ता,	सदस्य-सचिव

उक्त समिति की बैठक प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 02.02.2021 को सम्पन्न हुई। बैठक में सदस्यों/उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि तथा उत्तर प्रदेश जल निगम के अधिकारियों ने प्रतिभाग किया (उपस्थिति पंजिका/संलग्नक-1)

2. सदस्य सचिव द्वारा समिति के समक्ष बैठक में एजेण्डा प्रस्तुत किया गया (संलग्नक-2) एवं एजेण्डा के अनुसार बिन्दुवार प्रस्तुतीकरण किया गया। समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा निम्नवत् है :

एजेण्डा-(i) : महाप्रबन्धक, गो०प्र०नि०इकाई, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ के पत्र संख्या-2838 / AC-6/55 दिनांक 23.11.2020, पत्र संख्या-2748 / AC-6/53 दिनांक 11.11.2020, पत्र संख्या-3251 / AC-6/73 दिनांक 31.12.2020 एवं पत्र संख्या-125 / AC-6/13 दिनांक 12.01.2021 द्वारा लखनऊ जोन, पैकेज-4 के लिए जुलाई, सितंबर, अक्टूबर एवं नवंबर 2020 हेतु फर्म - M/s SUEZ India Pvt. Ltd. द्वारा लखनऊ जोन में प्रदान की गयी सेवाएँ एवं कराये गये कार्यों के सापेक्ष पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल जमा किया गया है (संलग्नक-3) जिसका विवरण निम्नानुसार है:

क्र०स०	पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल का विवरण	उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा प्रमाणित धनराशि, (रुपये में)	टिप्पणी
1	9 th Payment Certificate/ Bill- July 2020	रु० 6,80,26,470 (फर्म के भुगतान रु० 6,43,05,722 + जीएसटी रु० 77,16,687 + डीजल रु० 3,64,818) - Statutory Deductions Rs.	अनुबन्ध के तहत क्रमशः 15. 10.2020 एवं 27.11.2020 को सम्पन्न बैठक में Adhoc

1/10

A

Sh

X

W

		28,93,757 - Proposed Deductions & Penalty/LD of ₹ 14,67,000	Payment (75%) जल निगम को भुगतान हेतु स्वीकृत/अवमुक्त किया जा चुका है तथा अवशेष भुगतान किया जाना है। नोट- उक्त धनराशि सेन्ट्रेज एवं इनकन टैक्स(स्टेटयूरी डिडक्शन) को छोड़कर है।
2	11 th Payment Certificate/ Bill- Sep 2020	₹ 0 6,82,93,331 (फर्म को भुगतान ₹ 0 6,39,07,413 + जीएसटी ₹ 0 76,68,890 + डीजल ₹ 0 3,29,861) - Statutory Deductions Rs. 28,75,833 - Proposed Deductions & Penalty/LD of ₹ 0 7,37,000	
3	12 th Payment Certificate/ Bill- Oct 2020	₹ 0 6,58,09,293 (फर्म को भुगतान ₹ 0 6,35,42,614 + जीएसटी ₹ 0 76,25,114 + डीजल ₹ 0 3,08,597) - Statutory Deductions Rs. 28,59,417- Proposed Deductions & Penalty/LD of ₹ 0 28,07,615	जल निगम को भुगतान हेतु स्वीकृत वांछित है। नोट- उक्त धनराशि सेन्ट्रेज एवं इनकन टैक्स (स्टेटयूरी डिडक्शन) को छोड़कर है।
4	13 th Payment Certificate/ Bill- Nov, 2020	₹ 0 7,02,63,702.24 (फर्म को भुगतान ₹ 0 6,24,36,514.51 + एस्केलेशन 5 प्रतिशत ₹ 0 31,21,825.73 + जीएसटी ₹ 0 78,67,001 + डीजल ₹ 0 2,61,862) - Statutory Deductions Rs. 29,50,125 - Proposed Deductions & Penalty/LD of ₹ 0 4,73,376	

महाप्रबन्धक, गोप्र०नि०इकाई, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ एवं परियोजना प्रबन्धक, गोप्र०नि०इकाई, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ द्वारा जुलाई (अवशेष), सितंबर (अवशेष), अक्टूबर एवं नवंबर 2020 के सत्यापित पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल प्रेषित किये गये हैं। प्रयोगशाला की टेस्ट रिपोर्ट, एन.ए.बी.एल एकिएटेड लैब की टेस्ट रिपोर्ट, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एकत्रित किये गये सैम्प्ल के टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर जल निगम द्वारा अनुबन्ध की कलाज 39 सेक्शन-IV के अनुसार एस०टी०पी० वाईज क्वांटीटी एवं क्वालिटी की गणना की गयी है। लखनऊ जोन के माह अगस्त 2020 के बिल की स्वीकृति पूर्व में प्रदान की जा चुकी है।

उक्तानुसार निदेशालय में गठित ओ०एम०एण्डएम० सेल के मुख्य अभियन्ता (आर० के० चौधरी), अधिशासी अभियन्ता (विकास कुरील) एवं सहायक लेखाकार (गौरव त्रिपाठी) द्वारा महाप्रबन्धक, गोप्र०नि०इकाई, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ द्वारा जुलाई (अवशेष), सितंबर (अवशेष), अक्टूबर एवं नवंबर 2020 के पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल का परीक्षण एवं संस्तुति निम्नानुसार की गयी है:-

क्र. स.	विवरण	9 th Payment Certificate/ Bill- July 2020 (Balance Amount)	11 th Payment Certificate/ Bill- September 2020 (Balance Amount)	12 th Payment Certificate/ Bill- Oct 2020	13 th Payment Certificate/ Bill- Nov, 2020
1.	पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल के सापेक्ष अथमृत की जाने वाली धनराशि	14140478.30	14968475.72	60645705.11	58626113.11
2.	जी.एस.टी. (12 प्रतिशत)	1696857.40	1796217.09	7277484.61	7035133.57
3.	प्यूल चार्जेस (As per actual Certified by UPJN)	0	0	308597	261862
4.	उ०प्र० जल निगम को देय सेन्ट्रेज/ सुपरवीजन चार्जेस (10 प्रतिशत)	1414047.83	1496847.57	6064570.51	5862611.31
6.	योग	17251383.53	18261540.38	74296357.23	71785719.99
7	उ०प्र० जल निगम को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	181595001.13 - /	रु 0 अटूराह करोड़ पन्द्रह लाख पच्चानवे हजार एक व पैसे तेरह मात्र		

समिति के सदस्य सचिव—मुख्य अभियंता श्री चौधरी द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि अनुबंध के Section II के प्रस्तर— 34 के अनुसार मेसर्स सुएज इण्डिया प्राइलो को मोबलाइजेशन एडवांस (अनुबंध की वार्षिक धनराशि का 10 प्रतिशत) ₹ 0 7,75,01,600.00 (सात करोड़ पचहत्तर लाख एक हजार छः सौ मात्र) भुगतान किया गया है जिसकी 12 किश्तों के सापेक्ष प्रथम किश्त की देयता नवंबर माह से है। इसकी कटौती जल निगम द्वारा माह नवंबर 2020 के बिल से की जानी थी परंतु जल निगम द्वारा कटौती न किये जाने के कारण ₹ 0 6458466.67 (चौंसठ लाख अट्ठावन हजार चार सौ छाँचठ व पैसे सरसठ मात्र) की माह नवम्बर के बिल में ओएमएण्डएम सेल द्वारा की गयी है।

सदस्य सचिव—मुख्य अभियंता द्वारा समिति को यह अवगत कराया गया कि अनुबंध के Section III के प्रस्तर संख्या—2.8 के तहत फर्म को मेजर रिप्लेसमेण्ट फंड की वांछित धनराशि Escrow Account में प्रत्येक माह जमा करनी है। फर्म द्वारा 01 नवंबर 2019 से 30 नवंबर 2020 तक की वांछित धनराशि ₹ 0 7,61,25,000.00 (सात करोड़ इक्सठ लाख पच्चीस हजार मात्र) अभी तक जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में जल निगम एवं ओएमएण्डएम सेल द्वारा फर्म को नोटिस भी जारी की गयी हैं। सदस्य सचिव द्वारा उपरोक्त धनराशि ₹ 0 181595001.13 (₹ 0 अट्ठारह करोड़ पन्द्रह लाख पच्चानवे हजार एक व पैसे तेरह मात्र) से प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ द्वारा दिनांक 01.11.2019 से 30.11.2020 तक की मेजर रिप्लेसमेण्ट फंड के सापेक्ष लम्बित धनराशि ₹ 0 7,61,25,000.00 (सात करोड़ इक्सठ लाख पच्चीस हजार मात्र) को Escrow Account में अंतरित करने का संस्तुति सहित प्रस्ताव दिया गया।

निर्णय :

उपरोक्तानुसार उ0प्र0 जल निगम द्वारा पैकेज-4, लखनऊ जोन के माह जुलाई (अवशेष), सितम्बर 2020 (अवशेष), अक्टूबर एवं नवंबर 2020, के प्रमाणित पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल के सापेक्ष कुल धनराशि ₹ 0 181595001.13 (₹ 0 अट्ठारह करोड़ पन्द्रह लाख पच्चानवे हजार एक व पैसे तेरह मात्र) की स्थीरूपी शासन स्तर से प्रदान करने हेतु समस्त उपस्थित कमेटी के सदस्यों द्वारा सर्वसमति से सहमति व्यक्त की गयी तथा जल निगम द्वारा दिनांक 01.11.2019 से 30.11.2020 तक की मेजर रिप्लेसमेण्ट फंड के सापेक्ष लम्बित कुल धनराशि ₹ 0 7,61,25,000.00 (सात करोड़ इक्सठ लाख पच्चीस हजार मात्र) को Escrow Account में अंतरित करना एवं अन्य कटौतियां सुनिश्चित किया जाये।

एजेण्डा (ii)

महाप्रबन्धक, य0प्र0नि0इकाई, उ0प्र0 जल निगम, आगरा के पत्र संख्या—2875 / Payment O/M VATech Wabag/65 दिनांक 10.12.2020 एवं संख्या—2874 / Payment O/M VATech Wabag/64 दिनांक 10.12.2020 द्वारा माह अक्टूबर एवं नवम्बर, 2020 हेतु फर्म — M/s VA Tech Wabag Limited द्वारा आगरा जोन में प्रदान की गयी सेवाएँ एवं कराये गये कार्यों के सापेक्ष प्राप्त पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल जमा किया गया (संलग्नक-4) जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र0स0	पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल का विवरण	उत्तर प्रदेश जलनिगम द्वारा प्रमाणित धनराशि, (रुपये में)
1	11 th Payment Certificate / Bill - October, 2020	₹ 0 3,32,12,950.67 (फर्म को भुगतान ₹ 0 2,96,54,420.24 + जीएसटी ₹ 0 35,58,530.43) (Bill amount Rs. 29965317.54 -Proposed Deductions & Penalty/LD of ₹ 0 3,10,897.30)
2	12 th Payment Certificate / Bill - November, 2020	₹ 0 3,38,50,785.94 (फर्म को भुगतान ₹ 0 3,02,23,916.02 + जीएसटी ₹ 0 36,26,869.92) (Bill amount Rs. 30333916.02 -Proposed Deductions & Penalty/LD of ₹ 0 110000)

महाप्रबन्धक, य०प्र०नि०इकाई, उ०प्र० जल निगम, आगरा एवं परियोजना प्रबन्धक, य०प्र०नि०इकाई, उ०प्र० जल निगम, आगरा द्वारा अक्टूबर एवं नवंबर 2020 के सत्यापित पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल प्रमाणित कर प्रेषित किये गये हैं। प्रयोगशाला की टेस्ट रिपोर्ट, एन.ए.बी.एल एक्रिएटेड लैब की टेस्ट रिपोर्ट, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एकत्रित किये गये सैम्प्ल के टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर जल निगम द्वारा अनुबन्ध की क्लाज 39 सेक्शन-IV के अनुसार एस०टी०पी० वाईज क्वांटीटी एवं क्वालिटी की गणना की गयी है।

निदेशालय में गठित ओ०एम०एण्डएम० सेल के मुख्य अभियन्ता (आर० के० चौधरी), अधिशासी अभियन्ता (विकास कुरील) एवं सहायक लेखाकार (गौरव त्रिपाठी) द्वारा महाप्रबन्धक, य०प्र०नि०इकाई, उ०प्र० जल निगम, आगरा द्वारा प्रेषित अक्टूबर एवं नवंबर 2020 का परीक्षण एवं संस्तुति निम्नानुसार की गयी है :-

क्र.सं.	विवरण	11 th Payment Certificate / Bill - October, 2020	12 th Payment Certificate / Bill - November, 2020
1.	पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	29654420.24	30223915.86
2.	जी.एस.टी. (12 प्रतिशत)	3558530.43	3626869.90
3.	फ्यूल चार्जेस (As per actual certified by UPJN)	0	0
4.	उ०प्र० जल निगम को देय सेन्ट्रेज / सुपरवीजन चार्जेस (10 प्रतिशत)	2965442.02	3022391.59
6	योग	36178392.69	36873177.35
7	उ०प्र० जल निगम को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	73051570.04 - / रु० सात करोड़ तीस लाख इक्यावन हजार पाँच सौ सत्तर व पैसे चार मात्र	

सदस्य सचिव—मुख्य अभियन्ता श्री चौधरी द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि अनुबंध के Section III के प्रस्तर संख्या—2.8 के तहत फर्म को मेजर रिप्लेसमेण्ट फंड की वांछित धनराशि Escrow Account में प्रत्येक माह जमा करनी है। फर्म द्वारा 15 दिसंबर 2019 से 30 नवंबर 2020 तक की वांछित धनराशि ₹० 6,71,77,423.35 (छ: करोड़ इकहत्तर लाख सतहत्तर हजार चार सौ तेइस व पैसे पैंतीस मात्र) अभी तक जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में जल निगम एवं ओएमएण्डएम सेल द्वारा फर्म को नोटिस भी जारी की गयी हैं। सदस्य सचिव द्वारा उपरोक्त धनराशि ₹० 73051570.04 (रु० सात करोड़ तीस लाख इक्यावन हजार पाँच सौ सत्तर व पैसे चार मात्र) से प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ द्वारा दिनांक 15.12.2019 से 30.11.2020 तक की मेजर रिप्लेसमेण्ट फंड के सापेक्ष लम्बित धनराशि ₹० 6,71,77,423.35 (छ: करोड़ इकहत्तर लाख सतहत्तर हजार चार सौ तेइस व पैसे पैंतीस मात्र) को Escrow Account में अंतरित करने का संस्तुति सहित प्रस्ताव दिया गया।

निर्णय :

उपरोक्तानुसार उ०प्र० जल निगम द्वारा पैकेज-6, आगरा जोन के माह अक्टूबर एवं नवंबर 2020, के प्रमाणित पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल के सापेक्ष कुल धनराशि ₹० 73051570.04 (रु० सात करोड़ तीस लाख इक्यावन हजार पाँच सौ सत्तर व पैसे चार मात्र) की स्वीकृति शासन स्तर से प्रदान करने हेतु समस्त उपस्थित कमेटी के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की गयी तथा जल निगम द्वारा दिनांक 15.12.2019 से 30.11.2020 तक की मेजर रिप्लेसमेण्ट फंड के सापेक्ष लम्बित कुल धनराशि ₹० 6,71,77,423.35 (छ: करोड़ इकहत्तर लाख सतहत्तर हजार चार सौ तेइस व पैसे पैंतीस मात्र) को Escrow Account में अंतरित करना एवं अन्य कटौतियां सुनिश्चित किया जाये।

एजेण्डा (iii)

महाप्रबन्धक, य०प्र०नि०इकाई, उ०प्र० जल निगम, गाजियाबाद के पत्र संख्या-1900 / वन सिटी वन आपरेटर/408 दिनांक, 25.11.2020, पत्र संख्या-1910 / वन सिटी वन आपरेटर/410 दिनांक, 26.11.2020 एवं 2197 / वन सिटी वन आपरेटर/487 दिनांक, 30.12.2020 द्वारा माह अगस्त (अवशेष), अक्टूबर, एवं नवंबर 2020 हेतु फर्म – मेसर्स VA Tech Wabag Limited द्वारा गाजियाबाद जोन प्रदान की गयी सेवाएँ एवं कराये गये कार्यों के सापेक्ष पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल जमा किया गया है (संलग्नक-5) जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र०सं०	पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल का विवरण	उत्तर प्रदेश जलनिगम द्वारा प्रमाणित पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल की धनराशि, (रूपये में)	टिप्पणी
गाजियाबाद जोन (गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर, लौनी, मुजफ्फरनगर, रामपुर, बिजनौर, पिलखुआ, अनूपशहर)			
1	9th Payment Certificate/Bill- August 2020	रु० 4,08,32,711.47 (फर्म को भुगतान रु० 3,71,03,610.98 + जीएसटी रु० 44,52,433.32 + डीजल रु० 9,31,810.00) - (Proposed LD of रु० 16,55,142.83)	अनुबन्ध के तहत क्रमशः 15.10. 2020 को सम्पन्न बैठक में Adhoc Payment (75 %) जल निगम को भुगतान हेतु स्थीकृत / अवमुक्त किया जा चुका है तथा अवशेष भुगतान किये जाने की स्थीकृति वांछित है।
2	11 th Payment Certificate /Bill- Oct, 2020	रु० 4,57,01,169.30 (फर्म को भुगतान रु० 4,09,42,995.14 + जीएसटी रु० 49,13,159.42 + डीजल रु० 8,75,626.83) - (Proposed LD of रु० 1030612.09) + मुजफ्फरनगर का विथहेल्ड जून, जुलाई एवं अगस्त रु० 52,80,432.66	जल निगम को भुगतान हेतु स्थीकृत वांछित है।
3	12 th Payment Certificate /Bill- Nov, 2020	रु० 4,78,05,939.50 (फर्म को भुगतान रु० 4,44,09,542.23 + जीएसटी रु० 53,29,145.07 + डीजल रु० 6,50,799.50) - (Proposed LD of रु० 25,83,547.30)	

महाप्रबन्धक, य०प्र०नि०इकाई, उ०प्र० जल निगम, गाजियाबाद एवं परियोजना प्रबन्धक, य०प्र०नि०इकाई, उ०प्र० जल निगम, गाजियाबाद द्वारा अगस्त (अवशेष), अक्टूबर एवं नवंबर 2020 के सत्यापित पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल प्रमाणित प्रेषित किये गये हैं प्रयोगशाला की टेरस्ट रिपोर्ट, एन.ए.बी.एल एक्रिएटेड लैब की टेरस्ट रिपोर्ट, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एकत्रित किये गये सैम्प्ल के टेरस्ट रिपोर्ट के आधार पर जल निगम द्वारा अनुबन्ध की क्लाज 39 सेक्शन-IV के अनुसार एस०टी०पी० वाईज क्वांटीटी एवं क्वालिटी की गणना की गयी है।

निदेशालय में गठित ओ०एम०एण्डएम० सेल के मुख्य अभियन्ता (आर० के० चौधरी), अधिशासी अभियन्ता (विकास कुरील) एवं सहायक लेखाकार (गौरव त्रिपाठी) द्वारा महाप्रबन्धक, य०प्र०नि०इकाई, उ०प्र० जल निगम, गाजियाबाद द्वारा प्रेषित अगस्त (अवशेष), अक्टूबर एवं नवंबर 2020 का परीक्षण एवं संस्तुति निम्नानुसार की गयी है :-

क्र. सं.	विवरण	9th Payment Certificate/Bill- August 2020 (Balance Amount)	11th Payment Certificate /Bill- Oct, 2020	12th Payment Certificate /Bill- Nov, 2020
1.	पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	4540441.61	39584425.68	37613231.11
2.	जी.एस.टी. (12 प्रतिशत)	544852.99	4750131.08	4513587.73
3.	फ्यूल चार्जेस (As per actual Certified by UPJN)	0	875626.83	650799.50
4.	उ0प्र0 जल निगम को देय सेन्टर्ज / सुपरवीजन चार्जेस (10 प्रतिशत)	454044.16	3958442.57	3761323.11
5.	योग	5539338.76	49168626.16	46538941.45
6.	उ0प्र0 जल निगम को अवमुक्त की जाने वाली कुल धनराशि	101246906.37/- (दस करोड़ बारह लाख छियालीस हजार नौ सौ छ: व पैसे सैंतीस मात्र)		

मुजफ्फरनगर के सीवर नेटवर्क से संबंधित माह जुलाई एवं अगस्त, 2020 की रोकी गयी धनराशि ₹0 3520288.48 को अवमुक्त किया गया है जो माह अक्टूबर 2020 के बिल के साथ सम्मिलित है।

सदस्य सचिव-मुख्य अभियंता द्वारा समिति को यह अवगत कराया गया कि अनुबंध के Section III के प्रस्तर संख्या-2.8 के तहत फर्म को मेजर रिप्लेसमेण्ट फंड की वांछित धनराशि Escrow Account में प्रत्येक माह इकहत्तर संख्या 15 दिसंबर 2019 से 30 नवंबर 2020 तक वांछित धनराशि 6,71,77,423.35 (छ: करोड़ जमा करनी है)। फर्म द्वारा 15 दिसंबर 2019 से 30 नवंबर 2020 तक वांछित धनराशि 6,71,77,423.35 (छ: करोड़ इकहत्तर लाख छियालीस हजार चार सौ तेहस व पैसे पैंतीस मात्र) अभी तक जमा नहीं की गयी है। इस संबंध इकहत्तर लाख सतहत्तर हजार चार सौ तेहस व पैसे पैंतीस मात्र) अभी तक जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में जल निगम एवं ओएमएण्डएम सेल द्वारा फर्म को नोटिस भी जारी की गयी हैं। सदस्य सचिव द्वारा उपरोक्त में जल निगम एवं ओएमएण्डएम सेल द्वारा फर्म को नोटिस भी जारी की गयी हैं। सदस्य सचिव द्वारा उपरोक्त निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ द्वारा दिनांक 15.12.2019 से 30.11.2020 तक की मेजर रिप्लेसमेण्ट फंड के सापेक्ष लम्बित धनराशि 6,71,77,423.35 (छ: करोड़ इकहत्तर लाख सतहत्तर हजार चार सौ तेहस व पैसे पैंतीस मात्र) को Escrow Account में अंतरित करने का संस्तुति सहित प्रस्ताव दिया गया।

निर्णय :

उपरोक्तानुसार उ0प्र0 जल निगम द्वारा पैकेज-6, गाजियाबाद जोन के माह अगस्त (अवशेष), अक्टूबर एवं नवंबर 2020, के प्रमाणित पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल के सापेक्ष कुल धनराशि ₹0 101246906.37 (दस करोड़ बारह लाख छियालीस हजार नौ सौ छ: व पैसे सैंतीस मात्र) की रवीकृति शासन स्तर से प्रदान करने पर समर्त बारह लाख छियालीस हजार नौ सौ छ: व पैसे सैंतीस मात्र) की रवीकृति शासन स्तर से प्रदान करने पर समर्त उपस्थित कमेटी के सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त की गयी तथा जल निगम द्वारा दिनांक 15.12.2019 से 30.11.2020 तक की मेजर रिप्लेसमेण्ट फंड के सापेक्ष लम्बित धनराशि 6,71,77,423.35 (छ: करोड़ इकहत्तर लाख सतहत्तर हजार चार सौ तेहस व पैसे पैंतीस मात्र) को Escrow Account में अंतरित करना एवं अन्य कटौतियां सुनिश्चित किया जाये।

एजेण्डा (iv)

महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, गोरखपुर के पत्र संख्या-80 / कार्य-10 / 05 दिनांक 16.01.2021 एवं संख्या- 81 / कार्य-10 / 06 दिनांक 16.01.2021 द्वारा माह नवंबर एवं दिसंबर, 2020 हेतु फर्म - M/s Toshiba water solutions Limited द्वारा आगरा जोन में प्रदान की गयी सेवाएँ एवं कराये गये कार्यों के सापेक्ष प्राप्त पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल जमा किये गये (संलग्नक-6) जो निम्नानुसार है :

क्र०सं०	पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल का विवरण	उत्तर प्रदेश जलनिगम द्वारा प्रमाणित पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल की धनराशि, (रूपये में)
1	12th Payment Certificate/ Bill- November, 2020	रु० 73,05,061.76 (फर्म को भुगतान रु० 6446048 + जीएसटी रु० 773525.76 + डीजल रु० 85488.00)
2	13th Payment Certificate/ Bill- December, 2020	रु० 78,94,612.69 (फर्म को भुगतान रु० 6949566.69 + जीएसटी रु० 833948.00 + डीजल रु० 111098.00)

महाप्रबन्धक, उ०प्र० जल निगम, गोरखपुर एवं परियोजना प्रबन्धक, उ०प्र० जल निगम, गोरखपुर द्वारा नवंबर एवं दिसम्बर 2020 के सत्यापित पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल प्रेषित किये गये हैं। प्रयोगशाला की टेस्ट रिपोर्ट, एन.ए.बी.एल एक्रिएटेड लैब की टेस्ट रिपोर्ट, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एकत्रित किये गये सैम्पल के टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर जल निगम द्वारा अनुबन्ध की क्लाज 39 सेक्शन-IV के अनुसार एस०टी०पी० वाइज क्वांटीटी एवं क्वालिटी की गणना की गयी है।

निदेशालय में गठित ओ०एम०एण्डएम० सेल के मुख्य अभियन्ता (आर० के० चौधरी), अधिशासी अभियन्ता (विकास कुरील) एवं सहायक लेखाकार (गौरव त्रिपाठी), द्वारा महाप्रबन्धक, उ०प्र० जल निगम, गोरखपुर द्वारा नवंबर एवं दिसम्बर 2020 के पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल का परीक्षण किये जाने पर पाया गया कुछ टेस्ट रिपोर्ट उ०प्र० जल निगम द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गयी जिस क्रम में अनुबन्ध में दिये गये प्राविधान के अनुसार 75 प्रतिशत भुगतान किये जाने की संस्तुति निम्नानुसार की गयी है :

क्र. सं.	विवरण	Payment Certificate/ Bill- 12 th Nov, 2020 (Adhoc payment 75%)	Payment Certificate/ Bill- 13 th Dec, 2020 (Adhoc payment 75%)
1.	पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	4834536.00	5212175.02
2.	जी.एस.टी. (12 प्रतिशत)	580144.32	625461.00
3.	फ्यूल चार्जस (As per actual Certified by UPJN)	85488.00	111098.00
4.	उ०प्र० जल निगम को देय सेन्टर्ज / सुपरवीजन चार्जस (10 प्रतिशत)	483453.60	521217.50
5	योग	5983621.92	6469951.52
6	उ०प्र० जल निगम को अवमुक्त की जाने वाली कुल धनराशि	12453573.44 (एक करोड़ चौबीस लाख तिरपन हजार पाँच सौ तिहत्तर व पैसे चौवालीस मात्र)	

सदर्य सचिव—मुख्य अभियन्ता श्री चौधरी द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि अनुबन्ध के Section III के प्रस्तर संख्या—2.8 के तहत फर्म को मेजर रिप्लेसमेण्ट फंड की वांछित धनराशि Escrow Account में प्रत्येक माह जमा करनी है। फर्म द्वारा 28 दिसम्बर 2019 से 31 दिसम्बर 2020 तक की वांछित धनराशि रु० 7,09,78,494.62 (सात करोड़ नौ लाख अठहत्तर हजार चार सौ चौरानवे व पैसे बासठ मात्र) अभी तक जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में जल निगम एवं ओएमएण्डएम सेल द्वारा फर्म को नोटिस भी जारी की गयी है। सदस्य सचिव द्वारा उपरोक्त धनराशि रु० 12453573.44 (एक करोड़ चौबीस लाख तिरपन हजार पाँच सौ तिहत्तर व पैसे चौवालीस मात्र) से फर्म को भुगतान होने वाली नेट धनराशि को प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ द्वारा Escrow Account में अंतरित करने का प्रस्ताव दिया गया। दिनांक 28.12.2019 से 31.12.2020 तक की मेजर रिप्लेसमेण्ट फंड के सापेक्ष अवशेष धनराशि को फर्म द्वारा Escrow Account में जमा करने हेतु नोटिस

7/१०

Sh

X

जारी की जाय। यदि फर्म द्वारा उक्त धनराशि नहीं जमा की जाती है तो फर्म को भुगतान होने वाले अग्रिम बिलों की धनराशि से Escrow Account में अंतरित किया जाय।

निर्णय :

उपरोक्तानुसार उ0प्र0 जल निगम द्वारा पैकेज-5, गोरखपुर जोन के माह नवम्बर एवं दिसम्बर 2020 के प्रमाणित पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल के सापेक्ष कुल धनराशि ₹ 12453573.44 (एक करोड़ चौबीस लाख तिरपन हजार पाँच सौ तिहत्तर व पैसे चौवालीस मात्र) की स्वीकृति शासन रत्तर से प्रदान करने हेतु समरत उपरिथित कमटी के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की गयी तथा जल निगम द्वारा ₹ 12453573.44 (एक करोड़ चौबीस लाख तिरपन हजार पाँच सौ तिहत्तर व पैसे चौवालीस मात्र) से फर्म को भुगतान होने वाली नेट धनराशि को Escrow Account में अंतरित करना एवं अन्य कटौतियां किया जाना सुनिश्चित किया जाये। दिनांक 28.12.2019 से 31.12.2020 तक की मेजर रिप्लेसमेण्ट फण्ड के सापेक्ष अवशेष धनराशि को फर्म द्वारा Escrow Account में जमा करने हेतु नोटिस जारी की जाय। यदि फर्म द्वारा उक्त धनराशि नहीं जमा की जाती है तो फर्म को भुगतान होने वाले अग्रिम बिलों की धनराशि से कटौती कर Escrow Account में अंतरित करना सुनिश्चित किया जाये।

एजेण्डा (v) : अनुबन्ध के Section-II, Clause 2.2, Major replacement fund के सापेक्ष प्रस्ताव-

मुख्य अभियंता (गंगा), उ0प्र0 जल निगम लखनऊ के पत्रांक 919/022-407(बी)/2020, दिनांक 16.12.2020 द्वारा अवगत कराया गया है कि मुख्य अभियंता (लखनऊ क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ के पत्र संख्या 1773/विविध-4/167, दिनांक 03.12.2020 जिसके अंतर्गत बन सिटी बन ऑपरेटर कार्यक्रम के अनुबन्ध संख्या-09/SGRCA/2017-18(OM&M)/Package-4, Lucknow के मेजर रिप्लेसमेण्ट फण्ड के सापेक्ष कराये जाने वाले प्रस्तावित कार्यों की लागत ₹ 623.02 लाख (₹ 623.02 लाख (रु 623.02 लाख दो हजार मात्र)) है जो कि मुख्य अभियंता (पी0पी0आर0बी0डी0), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ के परीक्षणोपरांत पत्रांक-883/1009/072-0001(नमामि गंगा) /पी0पी0आर0बी0डी0/20, दिनांक 10.12.2020 द्वारा अनुमोदन/स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रेषित किया है। मुख्य अभियंता (लखनऊ क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ द्वारा प्रस्ताव की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी है (संलग्नक-7)। प्रस्तावित कार्य निम्नानुसार है-

S.N.	Descriptions of works	Annual cost for O&M (Rs. In Lac)
A	Name of Work	
1	Pump and starter replacement at Kukrail SPS	38210083
2	Site of Mechanical screen at GH canal	9082560
3	Pump and starter replacement and serene channel works at Nagariya SPS	2868954
4	Pump and starter replacement at CIS-Gomti Pumping station	4581840
B	Total work cost (1 to 4)	54743437
	GST Cost	7558880
	Subtotal (with GST)	62302317
	Total Cost(A+B)	62302317
	Say (In Rs. Lacs) Total	623.02

निर्देशालय में गठित ओ0एम0एण्डएम0 सेल के मुख्य अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता एवं सहायक लेखाकार द्वारा उक्त प्रस्ताव का परिक्षण किया गया है जो उचित पाया गया। यह अवगत कराया गया कि उक्त कार्य अनुबन्ध की धनराशि में सम्मिलित है।

8/10

निर्णय : एजेण्डा संख्या (v) पर अंकित प्रस्ताव पर समर्त उपस्थित कमेटी के सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त की गयी। प्रबन्ध निदेशक उ०प्र० जल निगम, लखनऊ अनुबन्ध के तहत नियमानुसार आवश्यक स्वीकृत प्रदान करते हुये आवश्यक कार्यवाही सम्पादित कराये।

एजेण्डा (vi) : विद्युत बिल-

महाप्रबन्धक, य०प्र०नि०इकाई, उ०प्र० जल निगम, आगरा के पत्र संख्या-2839 / Payment O&M VATech Wabag/61 दिनांक 10.12.2020 द्वारा 05 नग एस०टी०पी० व 28 नग एस०पी०एस० के माह नवंबर 2020 का प्रमाणित विद्युत देयक रु० 75,76,720.29 (पचहत्तर लाख छिहत्तर हजार सात सौ बीस व पैसे उन्नीस मात्र) निदेशालय में प्रस्तुत किया गया है। जो कि टोरन्ट पावर लिमिटेड को भुगतान किया जाना है। इसी क्रम में महाप्रबन्धक, य०प्र०नि०इकाई, उ०प्र० जल निगम, आगरा के पत्र संख्या-3076 / Payment O&M VATech Wabag/67 दिनांक 28.12.2020 द्वारा 02 नग एस०टी०पी० के दिनांक 05.11.2020 से 05.12.2020 तक का प्रमाणित विद्युत देयक रु० 1,42,491.00 (एक लाख बयालीस हजार चार सौ इक्यानवे मात्र) प्रस्तुत किया गया है जोकि दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिंगो को भुगतान किया जाना है। उपरोक्तानुसार कुल धनराशि रु० 77,19,211.29 (सतहत्तर लाख उन्नीस हजार दो सौ ग्यारह व पैसे उन्नीस मात्र) की स्वीकृति शासन से प्रदान किए जाने पर समर्त उपस्थित कमेटी के सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त की गयी।

निर्णय : महाप्रबन्धक, य०प्र०नि०इकाई, उ०प्र० जल निगम, आगरा उक्त प्रमाणित विद्युत बिल रु० 77,19,211.29 (सतहत्तर लाख उन्नीस हजार दो सौ ग्यारह व पैसे उन्नीस मात्र) की स्वीकृति शासन से प्रदान किए जाने पर समर्त उपस्थित कमेटी के सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त की गयी।

एजेण्डा (vii)

महाप्रबन्धक, य०प्र०नि०इकाई, उ०प्र० जल निगम, गाजियाबाद के पत्र संख्या-1998 / वन सिटी वन ऑपरेटर/432 दिनांक 03.12.2020 द्वारा 70 व 56 एम०एल०डी० एस०टी०पी० डून्डाहेड़ा के 01.10.2020 से 01.11.2020 तक का प्रमाणित विद्युत देयक रु० 48,79,873.00 (अडतालिस लाख उन्यासी हजार आठ सौ तिहत्तर मात्र) निदेशालय में प्रस्तुत किया गया है। जो कि पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिंगो को भुगतान किया जाना है। उपरोक्तानुसार धनराशि रु० 48,79,873.00 (अडतालिस लाख उन्यासी हजार आठ सौ तिहत्तर मात्र) की स्वीकृति वांछित है।

निर्णय : महाप्रबन्धक, य०प्र०नि०इकाई, उ०प्र० जल निगम, गाजियाबाद उक्त प्रमाणित विद्युत बिल रु० 48,79,873.00 (अडतालिस लाख उन्यासी हजार आठ सौ तिहत्तर मात्र) की स्वीकृति शासन से प्रदान किए जाने पर समर्त उपस्थित कमेटी के सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त की गयी।

एजेण्डा (viii)

परियोजना प्रबंधक नागर कार्य ईकाई (द्वितीय), उ०प्र० जल निगम मेरठ द्वारा पत्र संख्या-1575 / 72 MLD STP / 98 दिनांक 06.10.2020 एवं पत्र संख्या-1656 / 667 / 272 दिनांक 20.10.2020 द्वारा 72 एम०एल०डी० एस०टी०पी० मेरठ के माह अगस्त एवं सितंबर 2020 का प्रमाणित विद्युत देयक क्रमशः रु० 25,56,702.00 (रु० पच्चीस लाख छप्पन हजार सात सौ दो मात्र) एवं रु० 32,68,026.79 (रु० बत्तीस लाख अड़सठ हजार छब्बीस मात्र) निदेशालय में प्रस्तुत किया गया है। जो कि पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिंगो को भुगतान किया जाना है। उपरोक्तानुसार धनराशि रु० 58,24,728.79 (रु० अट्ठावन लाख चौबीस हजार सात सौ अट्ठाइस व पैसे उन्यासी मात्र) की स्वीकृति वांछित है।

निर्णय : परियोजना प्रबंधक नागर कार्य ईकाई (द्वितीय), उ०प्र० जल निगम मेरठ उक्त प्रमाणित विद्युत बिल रु० 58,24,728.79 (रु० अट्ठावन लाख चौबीस हजार सात सौ अट्ठाइस व पैसे उन्यासी मात्र) की स्वीकृति शासन से प्रदान किए जाने पर समर्त उपस्थित कमेटी के सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त की गयी।

उपरोक्तानुसार, एजेण्डा (i, ii, iii एवं iv) के सापेक्ष लिये गये निर्णय में अंकित कुल धनराशि ₹० 36,83,47,050.98/- (छत्तीस करोड़ तिरासी लाख सैंतालीस हजार पचास व पैसे अट्ठानवे मात्र) में लखनऊ जोन के लिये ₹० 181595001.13, आगरा जोन के लिये ₹० 73051570.04, गाजियाबाद जोन के लिये ₹० 101246906.37 एवं गोरखपुर जोन के लिये ₹० 12453573.44 की स्वीकृति शासन स्तर से प्रदान करने एवं प्रबन्ध निदेशक, जल निगम को उक्त धनराशि अवमुक्त करने हेतु समस्त उपस्थित कमेटी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त करते हुए संरक्षण की गयी। उ०प्र० जल निगम द्वारा अनुबन्ध की शर्तों एवं इस संबंध में जारी शासनादेश के दिशानिर्देशों का पालन किया जायेगा।

शासनादेश संख्या-849/नौ-9-19-89ज/2001 दिनांक 18 जुलाई, 2019 एवं शासनादेश संख्या-2748/नौ-9-20-89ज/2001 दिनांक 30.12.2020 द्वारा पुनरीक्षित बजट ₹० 350 करोड़ प्रतिवर्ष एस.टी.पी. के संचालन, अनुरक्षण एवं प्रबंधन की व्यवस्था की गयी है जिसके सापेक्ष उ०प्र० जल निगम को उक्त धनराशि ₹० 36,83,47,050.98/- (छत्तीस करोड़ तिरासी लाख सैंतालीस हजार पचास व पैसे अट्ठानवे मात्र) अवमुक्त की जा सकती है।

Fch
०२१० २१०२१
सदस्य-सचिव

मुख्य अभियन्ता,
उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयत)
अभियन्त्रण सेवा, उत्तर प्रदेश

सदस्य
उप/सहायक निदेशक, लेखा,
नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०,
लखनऊ

Sh
सदस्य
निदेशक नगरीय निकाय
निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ

J. M.
सदस्य
प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल
निगम, लखनऊ

J. M.
अध्यक्ष
प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग,
उ०प्र० शासन